पंचायतों में सरकारी दावों की खुली पोल

हर्दी नं. 1 बेला गौशाला बनी मवेशियों की कब्रगाह

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवारा मवेशियों के संरक्षण और सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए हर ग्राम पंचायत में लाखों रुपये का बजट देकर गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है.

परंतु जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है. रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हर्दी न.1 के बेला गांव में संचालित सरकारी गौशाला आज मवेशियों की दुर्दशा और मौत का केंद्र बन चुकी है. स्थानीय समाजसेवी बैजनाथ मिश्र ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. श्री मिश्र ने बताया कि सरकार द्वारा गौशालाओं की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सरपंच और सचिव को हर साल लाखों रुपये की राशि सौंपी जाती है, लेकिन मवेशियों के चारे, पानी और इलाज की व्यवस्था करने के बजाय यह पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है. सरपंच और सचिव मिलकर मवेशियों के हक का पैसा गबन करने में लगे हुए हैं. समाजसेवी बैजनाथ मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस गौशाला का निष्पक्ष और औचक निरीक्षण कर लें, तो भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई उजागर हो जाएगी. वर्तमान में गौशाला के भीतर दर्जन भर से अधिक मवेशी मृत और मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं. इतना ही नहीं गौशाला के ठीक पीछे कई मृत मवेशियों के नर कंकाल खुले में फेंके गए हैं जो व्यवस्थापकों की संवेदनहीनता को बयां करते हैं. श्री मिश्र ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के वेटरनरी डॉक्टर भी कभी इस गौशाला का दौरा करने या बीमार मवेशियों का इलाज करने नहीं आते हैं. शासन के नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय आवारा मवेशियों को गौशाला में रखने के बजाय दूसरे गांवों के मवेशियों को लाकर बंद कर दिया गया है, जबकि बेला गांव के मवेशी आज भी सड़कों पर आवारा घूमने को मजबूर हैं.

प्रदेश में जल संरक्षण से संवरेगा भविष्य : जनार्दन मिश्रा

गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, सांसद ने दिलाई जल और स्वच्छता की शपथ

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 25 मई, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे जल संरक्षण एवं संवर्धन अभियान तथा प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के पावन उद्देश्य को लेकर गंगा दशहरा के अवसर पर जिले भर में व्यापक स्तर पर जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के कार्य किए गए.

इसी कड़ी में मऊगंज जिला अंतर्गत ग्राम मटियरा में आयोजित जिला स्तरीय 'जल उत्सव' कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा ने विधि-विधान से जल पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि पानी जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के

लिए इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. उन्होंने 'कैच द रेन' की अवधारणा पर बल देते हुए ग्रामीणों से आह्वान किया कि 'हमें सामूहिक प्रयासों से यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में ही संरक्षित हो. जल स्रोतों का संरक्षण केवल सरकारी कार्य नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन बनना चाहिए. सांसद ने कहा की कि ग्राम मटियरा स्थित ठाकुरताला तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा.

इसके साथ ही ग्रामीणों की सुविधा हेतु तालाब में पक्के घाटों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे यह प्राकृतिक धरोहर अपने पुराने स्वरूप में लौट सके. इस अवसर पर बताया गया कि शासन की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना के तहत जहां एक ओर हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखना भी इस मिशन का अभिन्न हिस्सा है. जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइनों और नलों की सार्थकता तभी है जब हम तालाबों, बावड़ियों और कुओं को संरक्षित कर धरती की कोख को दोबारा पानी से भरें बल्कि समुदाय को जल प्रबंधन के प्रति जागरूक करें ताकि जल स्रोतों का दोहन न हो, बल्कि संवर्धन हो. सांसद श्री मिश्रा ने परमज्योति माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की.

कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण जनों को जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान करने और जल जीवन मिशन के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने का संकल्प दिलाया. इस अवसर पर अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद रहे.

जल संरक्षण जन-जन की जिम्मेदारी : रावत

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 25 मई, गंगा दशहरा के पवित्र अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला समन्वयक जागेश्वर ताम्रकार के निर्देशन में विकासखंड समन्वयक अजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन व उपस्थिति में नवांकुर संस्था ग्राम विकास सेवा समिति मऊगंज द्वारा सेक्टर मऊगंज प्रस्फुटन समिति मुदरिया चौबान के सहयोग से ग्राम पंचायत मुदरिया चौबान में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के अंतर्गत जल संवाद, जल गंगा कलश यात्रा, तालाब पूजन, वृक्ष पूजन, मंदिर पूजन ,तालाब में श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्य अतिथि राजकुमारी रावत सरपंच ग्राम पंचायत मुदरिया चौबान, विशिष्ट अतिथि अजय चतुर्वेदी विकासखंड समन्वयक मौजूद रहे.

कलश यात्रा के साथ अमवा में मनाया गया गंगा दशहरा

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, जिले के जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत अमवा 5 में गंगा दशहरा मनाया गया.

ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह गहरवार के तत्वाधान में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जल स्रोत का पूजन चौपाल बैठक एवं कलश यात्रा किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि बुध्दसेन कोल सरपंच ग्राम पंचायत अमवा 5 एवं विशिष्ट अतिथि रघुराई पटेल प्रस्फुटन समिति के सभी सदस्य रामनिवास कुशवाह सचिव रामबहोर पटेल और सूरश्याम कुशवाह दिनेश गुप्ता विद्यार्थी प्रसाद पटेल एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे जल संरक्षण पर चर्चा की गई एवं जल का जीवन पर महत्व तथा संकल्प लिया गया. कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार नापित परामर्शदाता द्वारा किया गया. वहीं अमवा समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह गहरवार ने कहा है कि हमें सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना है वल्की जल के बचाव के बारे में भी गहराई से अध्ययन करना होगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहे गा जल है तो कल है.

गंगा दशहरा पर जल संरक्षण का संदेश देते ग्राम पंचायत मुदरिया चौबान के लोग

परिवार को मदद दिलाने पहुंची नायब तहसीलदार

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, जिले के गुढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत हल्का बदवार से संवेदनशीलता और जन-सेवा की एक अनुकरणीय तस्वीर सामने आई है.

यहाँ की नायब तहसीलदार महिमा पाठक ने शासकीय नियमों और तकनीकी उलझनों के बीच फंसी एक गरीब मां की गुहार पर खुद संज्ञान लिया. वे स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचीं और आवश्यक साक्ष्य व गवाह जुटाकर आर्थिक सहायता दिलाने की कार्यवाही को गति दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्का बदबार की निवासी सावित्री प्रजापति के पुत्र की सितंबर 2025 में सर्पदंश से असामयिक मृत्यु हो गई थी. घटना के बाद पीड़ित परिवार अत्यंत आहत और बेसहारा हो गया था।शासन के नियमानुसार सर्पदंश से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि चार लाख रूपये प्रदान करने का प्रावधान है.

पीड़ित महिला ने इसके लिए बकायदा आवेदन भी प्रस्तुत किया था.आर्थिक सहायता स्वीकृत होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन गई थी. पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा सर्पदंश से मृत्यु होने की पुष्टि पूरी तरह स्पष्ट नहीं की जा सकी थी. तकनीकी और चिकित्सकीय रिपोर्ट में स्पष्टता न होने के कारण राजस्व नियमों के तहत पीड़ित परिवार को सहायता राशि स्वीकृत करने में गंभीर अड़चनें आ रही थीं. इसके चलते महीनों से पीड़ित महिला दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थी. जब यह मामला गुढ़ की संवेदनशील नायब तहसीलदार महिमा पाठक के संज्ञान में आया तो वह खुद गांव पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.

वन अधिकार प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 25 मई, कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर संजय कुमार जैन ने वनाधिकार से जुड़े प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों का समयबद्ध परीक्षण करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि खण्ड स्तरीय समितियाँ (एसडीएलसी) अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी प्रकरण जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें.

गंगा दशहरा में शामिल हुए विधायक, जल संरक्षण का दिया संदेश

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, गंगा दशहरा उत्सव के अंतर्गत जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा का आयोजन सोमवार 25 मई को जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत चोरगड़ी में किया गया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेन्द्र सिंह शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन

के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया. कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री एवं विधायक प्रतिनिधि बाबूलाल यादव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे, जनपद अध्यक्ष सुमन साकेत, सरपंच बंसल जी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया.

प्रिंट रेट से ज्यादा रेट पर की जा रही शराब की बिक्री

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, रीवा जिले के गुढ़ कम्पोजिट शराब दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है.

गुढ़, पुरवा और मनिकवार, दुआरी क्षेत्र की शराब दुकानों से जुड़े कथित अवैध वसूली के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब ठेकेदार खुलेआम निर्धारित मूल्य से ज्यादा रकम वसूल रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. वायरल वीडियो के बाद भी दुकान सील करने या लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई न होने पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच होती, तो संबंधित शराब दुकानों पर तत्काल कार्रवाई की जाती. वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आबकारी विभाग और कलेक्टर रीवा की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कमीशनखोरी के आरोप भी लगाए हैं.

हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जनता का आरोप है कि गरीब और आम लोगों के लिए नियम-कानून सख्ती से लागू किए जाते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई करने में प्रशासन पीछे हटता नजर आता है. शराब दुकानों पर लगातार अधिक कीमत वसूली की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना अब चर्चा का विषय बन गया है. अब लोगों की मांग है कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली करने वाले शराब ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

राष्ट्र निर्माण की 100 वर्ष पूर्व जो आधारशिला रखी गई थी उससे कोई वर्ग अछूता नहीं है : ताम्रकार

नवभारत न्यूज

हनुमना, 25 मई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा समूचे देश भर में चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मऊगंज के शगुन मैरिज हाल में किया गया.

शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी प्रख्यात नाड़ी विशेषज्ञ सरयू प्रसाद वैद्य की अध्यक्षता में विचार परिवार विषय पर आयोजित सत्र के मुख्य वक्ता सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने अपने साथ गर्भित उद्बोधन में कहां की आज से 101 वर्षों पूर्व राष्ट्र निर्माण की जो आधारशिला महान राष्ट्रीय नायक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में रखी गई थी. उसी का परिणाम है कि आज राजनीतिक सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा जो उस महामानव द्वारा दिए गए विचारों के माध्यम से राष्ट्रोत्थान की कड़ी में जोड़ने से वंचित रह गया हो. आज महा प्रशिक्षण अभियान की अध्यक्षता कर रहे हम सब के मार्गदर्शक वयोवृद्ध लोकतंत्र सेनानी आदरणीय बैद्यजी आदि ने तो आजादी के पूर्व से संघ तथा उसकी गतिविधियों को नजदीक से देखा व किया है प्रधानमंत्रीजी से लेकर हम सब भी इस संस्था के तरासे हुए लोग हैं इसीलिए यहां बैठे हैं.

यही कारण है कि आज विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाना जाता है. उल्लेखनीय है कि अपने सारगर्भित उद्बोधन में मुख्य वक्ता श्री ताम्रकार ने कहां की आज से 101 वर्षों पूर्व जब देश के चुनिंदा डॉक्टर के रूप में डॉक्टरी की परीक्षाक्षको पास कर डॉक्टर हेडगेवार जी 4-6 लड़कों को लेकर संघ की शाखा का शुभारंभ किया लोग कहा करते थे डॉक्टर पागल हो गया है लेकिन डॉक्टर साहब ने उन सब की परवाह किए बगैर राष्ट्र उत्थान का दृढ़ संकल्प लेकर जो कार्य किया उसके बाद द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्रीगुरूजी, आदरणीय दंतोपंत जी ठेंगड़ी आदि ने विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी छक्का सफर, बनवासी विकास परिषद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से ठाकुर राम सिंह की अध्यक्षता में इतिहास पुनर्मुद्रलेखन समिति का गठन, ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त शेयरों को खरीद कर उसका मालिक स्वयं एक भारतीय का बनना भारत विकास परिषद जैसे संगठनों के क्रियाकलापों का उल्लेख करते हुए कहा कि उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण धारा 370 का हटना है.

खाद्यान्न अनियमितता के मामले में नहीं हो रही कार्यवाही

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, जिले के गुढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हर्दी नम्बर 1 से गरीबों के निवाले पर डाका डालने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है.

यहाँ संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में विगत महीनों बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का घपला किया गया था. इस मामले की विधिवत जांच होने और जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी होने के बावजूद राजनीतिक रसूख और संरक्षण के चलते आरोपी आज भी कानून की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं और गरीबों का हक दबाया जा रहा है. ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य विभाग द्वारा इस उचित मूल्य की दुकान की कड़ाई से जांच की गई थी. तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर गौरी मिश्रा द्वारा मौके पर पहुंचकर खाद्यान्न के स्टॉक और वितरण पंजी का भौतिक सत्यापन किया गया था. जांच के दौरान बड़े पैमाने पर राशन की हेराफेरी और घपले की पुष्टि हुई थी. फूड इंस्पेक्टर गौरी मिश्रा ने अपनी विस्तृत जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को सौंपी थी जिसमें स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितताओं और राशन की कालाबाजारी का उल्लेख किया गया था. फूड इंस्पेक्टर की इस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषी सेल्समैन के खिलाफ गबन की राशि की वसूली करने और थाने में एफआईआर दर्ज कराने का कड़ा आदेश जारी किया गया था. प्रशासनिक नियमानुसार इस आदेश के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फाइल धूल खा रही है.

मुआवजा निर्धारण में हेराफेरी का आरोप, पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

नवभारत न्यूज

गुढ़, 25 मई, गुढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसांव में भूमि बंटवारे, मुआवजा निर्धारण और कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है.

जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों और प्रभावित भूमि स्वामियों ने महसांव हल्का के पटवारी प्रदीप पटेल के विरुद्ध रीवा कलेक्टर से लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के दौरान जमीन के हिस्सा बंटवारे और मुआवजा निर्धारण में मनमानी की गई, जिससे कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने और गरीब परिवारों के साथ अन्याय करने का प्रयास हुआ. पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार उनसे कथित रूप से दबाव बनाकर कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराए गए. कई ग्रामीणों ने कहा कि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए कागजात में क्या लिखा था इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई और न ही किसी कर्मचारी ने दस्तावेज पढ़कर सुनाए. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ अनजान व्यक्तियों ने उनकी तस्वीरें भी लीं, लेकिन उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया गया इसकी जानकारी आज तक नहीं दी गई. इसी क्रम में प्रभावित ग्रामीण गया प्रसाद तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की सही जानकारी उन्हें किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई. उनका कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से न कर बाद में भ्रामक माहौल तैयार किया गया, जिससे वास्तविक पीड़ितों की आवाज दबाई जा सके. ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम महसांव स्थित आराजी क्रमांक 1857/2 की पैतृक भूमि, जिसका हिस्सा पूर्व में परिवार द्वारा आपसी सहमति से उत्तर-दक्षिण दिशा में बांटा गया था, उसे कथित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण और मुआवजा प्रक्रिया के दौरान बिना जानकारी व सहमति के पूर्व-पश्चिम दिशा में प्रदर्शित कर दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इससे सड़क किनारे की अधिक लाभकारी भूमि कुछ लोगों के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य हिस्सेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमि को व्यवसायिक (कमर्शियल) श्रेणी में दर्शाकर अधिक मुआवजा निर्धारित किया गया, जबकि गरीब एवं वास्तविक प्रभावित जनसमूह के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के मकान, कुएं, रास्ते और आवासीय भूमि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही है, उन्हें न्यायसंगत मुआवजा नहीं मिल रहा, जिससे उनके सामने भविष्य में आवासीय और आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है.ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या अपने हक, हिस्सेदारी और न्यायसंगत मुआवजे की मांग करना गलत है? उनका आरोप है कि पटवारी और खबर चलाने वाले कुछ लोगों की कथित मिलीभगत के जरिए मामले को दबाने तथा भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, सीमांकन और वास्तविक स्थिति के आधार पर पारदर्शी मुआवजा निर्धारण की मांग की है.मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर ने शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच का आश्वासन दिया है. अब ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों की निगाह प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है तथा वे उम्मीद कर रहे हैं कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी.

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को अटेण्ड न करने पर 11 अधिकारियों को नोटिस जारी

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 25 मई, कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को अटेण्ड न करने पर इन अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये हैं. नोटिस का तीन दिवस के अंदर जबाव प्रस्तुत नहीं करने तथा कार्य में प्रगति न होने पर सात दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही की जायेगी.

नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उप नियम में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने पर जारी किया गया है. कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के शिकायतें अटेण्ड न करने पर एल-1 अधिकारी बीएमओ नईगढ़ी डॉ. आरके पाठक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कमलेश ताण्डेकर, कनिष्ठ अभियंता पुष्पेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सुशीला साकेत, सीएमओ मऊगंज राहुल शर्मा, सीएमओ हनुमना अरूण कुमार त्यागी, सीएमओ नईगढ़ी पूजा द्विवेदी, उप संचालक पशुपालन डॉ. जेएल साकेत, पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमना डॉ. केके गुप्ता, बीईओ मऊगंज शत्रुध्न प्रसाद मिश्रा और बीईओ हनुमना देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा को नोटिस जारी किया है.